संख्या-40 /2026/709/26-3-2026-2019172

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

**समाज कल्याण अनुभाग-3** **लखनऊः दिनांकः 24 मार्च, 2026**

**विषयः-धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा एफआरए सेल के गठन हेतु अवमुक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-296/ज0जा0वि0/DAJGUA/2025-26 दिनांक 08.01.2026 एवं संख्या-353/ ज0जा0वि0/2025-26 दिनांक 23.02.2026का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या - 81 के लेखाशीर्ष 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- 01 - केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ - 0119 - धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान - 42- अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 -34.52 लाख (रुपये चौतीस लाख बावन हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 34.52 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए स्वीकृत धनराशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-11015/11/2024-पीवीटीजी दिनांक 26.09.2025 द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व मद में FRA Cell के गठन हेतु धनराशि रू0 34.52 लाख की Mother Sanction निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा अनुदान संख्या- 81 के मुख्य लेखाशीर्ष 2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- 01 - केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ - 0119 - धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान - 42- अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 -34.52 लाख (रुपये चौतीस लाख बावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके के निवर्तन पर रखे जाने एवं स्वीकृत धनराशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा सम्बन्धित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस सम्बन्ध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस सम्बन्ध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्रस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5) प्रश्नगत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों एवं भारत सरकार की गाईडलाइन में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय धनराशि रू0-34.52 (रुपये चौतीस लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 लेखाशीर्षक 2225- 02- 796 - 01 - 0119 - 42- अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-208-X-2025-26-दिनांक: 10-02-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 24-03-2026
17:21:36

भवदीय,
(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

पृ0 संख्य एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी )प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा )प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, [illegible], उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9- गार्डफाइल

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।